

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 186/16

संस्थित दिनांक-13.04.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

मोहित तोमर पुत्र राजू सिंह उम्र 24 साल

निवासी-गुढापीपरी, नादरिया माता वीजासेन

नगर माधौगंज लश्कर कम्पू ग्वालियर म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 12.05.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 304ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 18.03.2016 को करीब 6 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड गोल कुंडा की पुलिया के पास अपने वाहन क्रमांक एम०पी० 07 एम०बी० 3277 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर धीरज को टक्कर मारकर धीरज की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 18.03.2016 को फरियादी भीमसिंह और उसके चचेरे भाई धीरज सिंह दौड़ की तैयारी कर रहे थे। उक्त दिनांक को सुबह करीब 6 बजे भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर फरियादी एवं उसका चचेरा भाई धीरज दौड़ रहा था। धीरज आगे दौड़ रहा था। इतने में गोल कुंडा की पुलिया के पास पहुंचा तो सामने से एक मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना नम्बर एम०पी०-07 एम०बी०- 3277 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और धीरज को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आई थीं। राघवेन्द्र एवं जितेन्द्र ने घटना देखी। आहत को प्राईवेट जीप में रख कर अस्पताल लाए। इलाज के दौरान धीरज की मृत्यु हो गई। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। मर्ग कायम किया गया। मृतक का शव परीक्षण कराया गया। मर्ग जांच में अपराध क्रमांक 68/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा क्लेम प्राप्त करने के लिए झूठा फसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1—क्या दिनांक 18.03.2016 को सुबह 6 बजे मृतक धीरज सिंह की मृत्यु आपराधिक मानव बध से भिन्न दुर्घटना में कारित हुई थी ?

2—क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर गोल कुंडा की पुलिया के पास वाहन क्रमांक एम०पी०-०७ एम०बी०-३२७७ को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर धीरज को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 1, जितेन्द्र सिंह अ०सा० 2, सुखवीर सिंह अ०सा० 3 शिवपाल अ०सा० 4, पुष्परज सिंह चंदेल अ०सा० 5, केशव सिंह अ०सा० 6, रामकरन शर्मा अ०सा० 7, राघवेन्द्र सिकरवार अ०सा० 8, डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 9, भीमसिंह अ०सा० 10 एवं रामकुमार पाठक अ०सा० 11 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

#### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष //

6. प्रकरण में फरियादी भीमसिंह अ०सा० 10 यह कथन करते हैं कि वे धीरज गुप्ता को जानते हैं। उसकी मृत्यु दिनांक 18.03.2016 को सुबह 5 बजे गोल कुंडा की पुलिया के पास ग्वालियर रोड पर एक्सीडेंट के कारण हुई थी। यह कथन करते हैं कि वे पैदल घूमने के लिए ग्वालियर रोड पर जा रहे थे तथा धीरज भी घटना स्थल पर व्यायाम कर रहा था। तभी ग्वालियर तरफ से एक बाइक बहुत तेजी से आई और उसने सामने से धीरज को टक्कर मार दी। यह भी कथन करता है कि टक्कर में धीरज को छाती, पैर, पीठ व अन्य स्थानों पर चोटें आई थीं। तत्पश्चात् 100 नम्बर (पुलिस) को फोन किया तब गाड़ी आई और थाने ले गए थे। जहां से धीरज की हालत नाजुक होने से गोहद अस्पताल ले गए। साक्षी उक्त घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 11 के रूप में करना बताता है, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। प्र०पी० 11 की रिपोर्ट में घटनास्थल के साक्षी राघवेन्द्र, सुखवीर एवं जितेन्द्र सिकरवार लेख किए गए हैं।

07. जितेन्द्र अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 18.03.2016 को सुबह 5:45-06:00 बजे वे धीरज, युगभान गुर्जर, सुखवीर, शिवपाल, राघवेन्द्र सिकरवार, भीमसिंह

भदौरिया, कप्तान सिंह गोहद चौराहे से छीमका तरफ दौड़ कर जा रहे थे। वे सब सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। जब गोल कुंडा की पुलिया पर पहुंचे, तब एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 07 एमबी 3277 का चालक तेज गति से चला कर लाया और धीरज भदौरिया को सामने से टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आईं। साक्षी यह भी बताता है कि इसके बाद पुलिस को फोन किया था। 100 नम्बर पुलिस वाले आरोपी को मय गाड़ी थाने पर ले गए और अस्पताल गोहद ले गए जहां इलाज के दौरान धीरज की मृत्यु हो गई। राघवेन्द्र अ०सा० 8 यह कथन करते हैं कि धीरज भदौरिया के साथ दौड़ की तैयारी कर रहा था और भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर दौड़ने गया था। उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी दुर्घटना के बाद उसे जमीन पर पड़े हुए देखने का कथन करता है। अन्य साक्षी सुखवीर अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 18.03.16 को प्रातः 05:45-06:00 बजे गोहद चौराहे से छीमका गांव के बीच पुलिया है उस समय टहलने के लिए छीमका गांव तरफ जा रहे थे। उसी समय गोहद चौराहे से छीमका की तरफ कुछ लड़के भर्ती की तैयारी करने दौड़ रहे थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल ग्वालियर तरफ से आई, जिसने धीरज भदौरिया को टक्कर मार दी। यह भी बताता है कि बाद में धीरज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। शिवपाल अ०सा० 4 भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर प्लेटिना मोटरसाइकिल के चालक ने एक लड़के का एक्सीडेंट कर दिया था। सूचक प्रश्न में बताता है कि उसका नाम धीरज भदौरिया था और एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसप्रकार उक्त सभी साक्षी फरियादी भीम सिंह अ०सा० 10 के कथनों का समर्थन करते हुए दिनांक 18.03.16 को प्रातः करीब 6 बजे धीरज की मोटरसाइकिल से दुर्घटना कारित होने और इलाज के दौरान मृत्यु होने के तथ्य को स्वीकार करते हैं।

08. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 1 के रूप में परीक्षित कराए गए हैं जो कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 18.03.16 को धीरज का एक्सरे परीक्षण किया था, जिसमें कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। शव परीक्षणकर्ता डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 09 हैं, जो कथन करते हैं कि दि० 18.03.2016 को वे सीएचसी गोहद में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को मृतक धीरज पुत्र राजवीर सिंह भदौरिया आयु 22 वर्ष का शव परीक्षण आरक्षक 828 विक्रम सिंह द्वारा परीक्षित किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने मृतक के वाह्य परीक्षण में निम्न चोटें पाई थीं।

1. खरोंच जो कि बांयी तरफ नाक पर थी जिसका आकार 3 गुणा 2 सेमी०।
2. खरोंच जो कि पूरे चेहरे पर थी जिसका आकार 10 गुणा 5 सेमी०।
3. ब्रूसी जो कि बांयी तरफ एगजिलरी लाइन पर 7 वीं से 9 वीं रिप तक थी, जिसका आकार 8 गुणा 2 सेमी०।

4. ब्रूसी जो कि बांयी तरफ छाती पर थी जो कि 7 वी से 9 वीं रिप तक थी जिसका आकार 10 गुणा 2 सेमी० था।
5. जो कि बांयी तरफ के निपिल के नीचे थी जिसका आकार 5 गुणा 1 सेमी० था।
6. ब्रूसी जो कि दांयी तरफ पैर पर आगे थी जिसका आकार 6 गुणा 3 सेमी ।
7. ब्रूसी बांयी तरफ पैर पर आगे जिसका आकार 5 गुणा 2 सेमी० था।
8. ब्रूसी जो कि दांयी तरफ छाती पर जिसका आकार 7 गुणा 2 सेमी० था जो 5 वी से 9 वीं रिप तक फेली थी। लिवर बुरी तरीके से फट गया था, जिसमें खून आ रहा था। उसकी पैरीटोनियल केबिटी खून से भरी थी।
9. खरोंच जो कि दांयी तरफ हाथ से बहुत सारी थीं।
10. खरोंच जो कि दांयी तरफ हाथ में पहली उंगली के आधार पर थी जिसका आकार 2 गुणा 1 सेमी० था।

**आंतरिक परीक्षण** में आहत का शारीरिक हाल औसत होना बताते हैं। कपाल एवं मेरुदण्ड सामान्य होने, हृदय खाली, पेट, आंतों की झिल्ली, मुख तथा ग्रास नली सामान्य थी। पेट, छोटी आंत बड़ी आंत सब कुछ सामान्य था तथा प्लीहा, गुर्दा एवं भीतरी एवं बाहरी जनेन्द्रिया सामान्य पाए जाने का कथन करते हैं। मृतक की मृत्यु हिमरेजिक सॉक जो कि लिबर फटने के कारण होना प्रतीत होने के संबंध में कथन करते हैं। मृतक की मृत्यु परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर होने का कथन करते हैं।

09. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 9 द्वारा मृतक धीरज का शव-परीक्षण की रिपोर्ट प्र०पी० 9 के रूप में बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। उक्त रिपोर्ट में शव-परीक्षण का समय 02:30 बजे अंकित है। साक्षी द्वारा मृतक की मृत्यु का समय परीक्षण अवधि के 12 घण्टे के भीतर होना बताया है। जिसकी पुष्टि साक्षी भीमसिंह अ०सा० 10 जितेन्द्र सिंह अ०सा० 2, सुखवीर अ०सा० 3 शिवपाल अ०सा० 4 राघवेन्द्र अ०सा० 8 के द्वारा भी हो रही है। प्र०पी० 9 की रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से एवं अविश्वास का कोई आधार न होने से भलीभांति प्रमाणित है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से साक्षीगण को मृतक धीरज की मृत्यु दुर्घटना में कारित होने के तथ्य के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है। मौखिक साक्षियों को भी दुर्घटना में मृत्यु कारित होने के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 9 को परीक्षण में सुझाव दिया गया कि तेज गति से आ रही मोटरसाईकिल या किसी बस से पेट के बल गिर जाने से आहत को पाई गई चोटें कारित होना संभव थीं। ऐसे में स्वयं अभियुक्त की ओर से मृतक धीरज की मृत्यु के संबंध में दुर्घटना जनित चोटों के संबंध में सुझाव दिया गया है जिस पर अविश्वास का कोई आधार नहीं रहा जाता है। दस्तावेजों से मृतक धीरज की मृत्यु दुर्घटना के परिणामस्वरूप कारित होने के तथ्य का समर्थन अभिलेख पर है। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित है कि मृतक धीरज की मृत्यु दिनांक 18.03.2016 को प्रातः करीब 6 बजे वाहन दुर्घटना से कारित चोटों के



कारण उदभूत हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा मृतक की सड़क दुर्घटना में उपेक्षा अथवा उतावलेपनपूर्ण रीति के कारण उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

10. भीमसिंह अ०सा० 10 यह कथन करते हैं कि घटना के समय वे पैदल-पैदल ग्वालियर रोड पर घूमने जा रहे थे और धीरज वहां पर व्यायाम कर रहा था। तभी एक मोटरसाईकिल ने तेजी से आकर धीरज में सामने से टक्कर मार दी थी। साक्षी यह बताता है कि उक्त मोटरसाईकिल प्लेटिना 100 कंपनी की ब्लैक नीले और ग्रे कलर की थी। किंतु उसका नम्बर याद न होना बताता है। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर बताता है कि अभियुक्त मोहित ही घटना के समय मोटरसाईकिल चला रहा था। इस प्रकार से अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से मोटरसाईकिल चलाकर दुर्घटना कारित करने का तथ्य बताया है। साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में उक्त मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना नम्बर एमपी 07 एमबी 3277 को तेज गति से चलाकर लाने और मोहित द्वारा टक्कर माने का तथ्य बताते हैं। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में साक्षी न्यायालय में उपस्थिति व्यक्तियों में से अभियुक्त को पहचानने में असमर्थ है, जिसका कारण उनकी साक्ष्य से 5-6 महीने पहले की घटना होना बताया है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जिसे पहली बार साक्षी द्वारा देखा गया हो वह उसको कई लोगों की भीड़ में अचानक से पहचान पाए। ऐसे में साक्षी का कथन स्वाभाविक प्रतीत होता है।

11. सुखवीर सिंह अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में ग्वालियर तरफ से आ रही मोटरसाईकिल द्वारा धीरज को टक्कर मार देने के संबंध में कथन करते हैं। किंतु न तो मोटरसाईकिल का कोई नम्बर बताते हैं और न ही उसे कौन चला रहा था यह बताते हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें स्वीकार किया है कि कथित मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमबी 3277 बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल काले रंग की थी। साक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देख कर पहचाना है कि वह व्यक्ति अभियुक्त कथित मोटरसाईकिल को चला रहा था। साक्षी प्रतिपरीक्षण में मृतक धीरज से अपनी दूरी न्यायालय आसंधि से अभियुक्त के खड़े होने के स्थान (10-12 फीट) की दूरी होना बताते हैं। ऐसे में यह घटना का सर्वोत्तम साक्षी है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि उसने नहीं देख पाया कि घटना के समय टक्कर मारते समय मोटरसाईकिल को कौन चला रहा था, जिसका स्पष्टीकरण दिया है कि मोटरसाईकिल पर बैठे दो लोग गिर गए थे। साक्षी घटना स्थल पर जितेन्द्र सुखवीर, राघवेन्द्र व धीरज व अन्य गुर्जर का लड्डका युगभान के मौजूद होने के संबंध में कथन करते हैं। इस साक्षी को

प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई कि वह मौके पर मौजूद नहीं था और उसने अभियुक्त को मोटरसाईकिल चलाते हुए नहीं देखा। ऐसे में उक्त तथ्य संबंधी साक्ष्य अखंडित हो गई है।

12. साक्षी शिवपाल अपने अभिसाक्ष्य में दुर्घटना होना बताते हैं, किंतु किस वाहन से और किसके द्वारा दुर्घटना कारित की गई इसके संबंध में कथन नहीं करते तथा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्नों पूछे गए, जिनमें दुर्घटना में धीरज भदौरिया को चोट आना और अस्पताल में मृत्यु हो जाने का तथ्य स्वीकार किया गया है। साक्षी द्वारा इस तथ्य के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है कि उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमबी 3277 थी। ऐसे में अभियुक्त के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य इस साक्षी के कथन में प्रकट नहीं हुई है। राघवेन्द्र अ०सा० 8 भी दुर्घटना होना बताते हैं, किंतु किससे दुर्घटना हुई और किसने दुर्घटना की इसके संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। सूचक प्रश्नों में भी कोई समर्थन नहीं करते हैं। केशवसिंह अ०सा० 6 यह कथन करते हैं कि जब वे शौच के लिए गए थे तो लौट कर देखा तो भीड़ लगी थी। उन्होंने देखा कि धीरज रोड पर पड़ा था और मोटरसाईकिल भी पड़ी थी, किंतु मोटरसाईकिल चलाने वाले के संबंध में जानकारी न होना बताते हैं। सूचक प्रश्नों में भी कोई समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला भीमसिंह अ०सा० 10, सुखवीर अ०सा० 3 एवं जितेन्द्र अ०सा० 2 के कथनों पर निर्भर हो जाता है।

13. भीमसिंह अ०सा० 10 अपने अभिसाक्ष्य में धीरज से करीब 100 मीटर की दूरी पर होना बताते हैं और घटना स्थल पर दौड़कर पहुंचना बताते हैं। साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने आरोपी को नहीं पकड़ा था, किंतु इस सुझाव से घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को बल प्राप्त होता है। साक्षी कंडिका 3 में बताता है कि उसने अभियुक्त से नाम पूछा था तो उसने अपना नाम मोहित बताया था। प्र०पी०2 के कथन में अभियुक्त का नाम न होने के संबंध में स्पष्टीकरण देता है कि उस समय उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इस कारण से नाम नहीं बताया था। साक्षी द्वारा प्र०पी० 10 के नक्शामौका एवं एफ०आई०आर० पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिनके संबंध में अधिवक्ता का तर्क है कि उससे उक्त हस्ताक्षर धीरज के घर पर कराए गए थे। प्र०पी० 10 व प्र०पी० 11 के दस्तावेज के संबंध में उनके क्रमशः घटना स्थल पर व थाने पर तैयार किए जाने के संबंध में कोई खंडनात्मक सुझाव नहीं है। ऐसे में साक्षी द्वारा हस्ताक्षरों के संबंध में बताए गए तथ्य अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं बना देता है।

14. साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 2 यह कथन करते हैं धीरज भदौरिया उससे 20 मीटर आगे दौड़ रहा था और यह भी कथन करता है कि घटना स्थल पर 6-7 लोग सुखवीर, धीरज, युगराज, शिवपाल, राघवेन्द्र, भीम सिंह और वह था। यह साक्षी कथन करता है कि उसने अभियुक्त को पहली बार घटना स्थल पर देखा था और घटना स्थल पर से थाने गया था तब भी देखा था। ऐसे में साक्षी का कथन अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में अन्य तथ्यों से संबंधित होकर उसपर अविश्वास का

कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। साक्षी सुखवीर अ०सा० 3 न्यायालय में अभियुक्त को पहचान कर बताता है कि अभियुक्त ही उक्त मोटरसाईकिल को चला रहा था और यह भी स्वीकार करता है कि गलत दिशा से आकर उसने धीरज को टक्कर मारी थी। यद्यपि यह साक्षी धीरज के आगे चलने और टक्कर पीछे की तरफ होना बताता है, किंतु घटना स्थल पर पलट कर पहुंच जाना बताता है और घटना स्थल पर अभियुक्त को पड़े देखने का कथन करता है। ऐसे में इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन घटना का समर्थन होता है।

15. अतः उपरोक्त तथ्यों के संबंध में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया है कि क्लैम प्राप्त करने के उद्देश्य से अभियुक्त को मिथ्यारूप से फंसाया दिया है, किंतु घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को अभियोजन साक्षियों द्वारा बताया गया है, जिस पर अविश्वास करने अथवा उसके खंडन का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। जप्तीकर्ता रामकरन पाठक अ०सा० 11 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि उन्होंने दिनांक 26.03.2016 को अभियुक्त के प्रस्तुत करने पर मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमबी 3277 को जप्त किया था और जप्ती पंचनामा प्र०पी० 13 बनाया था। इस प्रकार से अभिकथित घटना के 8-9 दिन बाद मोटरसाईकिल जप्त किया जाना बताया है। साक्षी पुष्पराज सिंह चंदेल अ०सा० 5 यह बताते हैं कि उक्त बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल के वे पंजीकृत स्वामी हैं, जिसके एक्सीडेंट होने के संबंध में पुलिस ने बताया था और गाड़ी को जप्त कर के ले गए थे। साक्षी उक्त गाड़ी को उसके अलावा अन्य कोई नहीं चलाता ऐसा कथन करता है, किंतु प्र०पी० 4 का प्रमाणीकरण प्रस्तुत है जिसमें साक्षी द्वारा ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त प्रमाणीकरण में अभियुक्त मोहित द्वारा वाहन चलाए जाने के संबंध में तथ्य उल्लेखित है। साक्षी इस संबंध में बताता है कि उन्होंने खाली कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षी यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त मोहित उनका भांजा है, किंतु अभियुक्त द्वारा दि० 18.03.16 को दुर्घटना कारित करने के संबंध में सूचक प्रश्नों में इंकार करते हैं साक्षी के द्वारा यह तथ्य स्वीकार करना कि अभियुक्त उसका भांजा है। साक्षी द्वारा उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए जाने के संबंध में कोई भी वैधानिक कार्यवाही की हो ऐसा तथ्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसे में उसके हस्ताक्षर प्र०पी० 4 पर होने के बावजूद उसका बी से बी भाग पर उल्लेखित तथ्यों के संबंध में मना करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

16. रामकरन शर्मा अ०सा० 7 यह कथन करते हैं कि दिनांक 26.03.16 को उन्होंने जप्तशुदा वाहन एमपी 07 एमबी 3277 बजाज प्लेटिना काले रंग की मेकेनिकल जांच की थी। जिसमें वाहन चालू हालत में पाया था। परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 7 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। अभियुक्त की ओर से सुझाव लिया कि उक्त मोटरसाईकिल के गिर जाने या पेड़ से

टकरा जाने पर उक्त क्षति होना संभव थी, किंतु अभिकथित मोटरसाईकिल दुर्घटना के पूर्व या पश्चात कब किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई इसके संबंध में कोई बचाव प्रस्तुत नहीं है। ऐसे में उसका दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के संबंध में तथ्य व अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास किए जाने का न्यायोचित आधार उत्पन्न होता है। प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य में दर्शित किए गए विरोधाभास सारवान प्रकृति के न होकर सूक्ष्म दर्शित होते हैं। जहाँ घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति एवं भीमसिंह अ०सा० 10 के अभियुक्त द्वारा वाहन चलाए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर हो व अन्य साक्षियों से समर्थित हो, ऐसे में उस पर अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार उत्पन्न नहीं होता है।

17. उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 18.03.2016 को अभियुक्त ने ग्वालियर भिण्ड हाईवे रोड पर गोलकुंडा पुलिया के पास उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमबी 3277 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक धीरज को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। अतः अभियुक्त को धारा 304 ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

18. अभियुक्त के कृत्य से एक नवयुवक की मृत्यु कारित हुई है। वर्तमान में तेजी से बढ़ रही उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहनों की संचालित किए जाने की प्रवृत्ति के कारण कई व्यक्तियों को अपने मानव जीवन को खोना पड़ता है और कईयों को जीवनभर इस प्रकार की दुर्घटना की यादें चोटों के रूप में लेने के लिए विवश होना पड़ता है। अभियुक्त की ओर से उसके प्रथम दोषसिद्धि होने एवं उसके नवयुवक होने के कारण कम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की है किन्तु दुर्घटना के फलस्वरूप जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है, मात्र प्रथम दोषसिद्धि के आधार पर कम से कम दण्ड देने का औचित्य उचित दर्शित नहीं होता है।

19. प्रकरण में अभियुक्त के कृत्य अथवा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन के संचालन के कारण हुई दुर्घटना में कारित मानव क्षति ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को संहिता की धारा 304 ए के अधीन दण्डित किया जाता है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 304 ए के अधीन **एक वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास** तथा **एक हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

20— प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति वाहन क्र० एम०पी०-07 एम०बी०-3277 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।



21. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
22. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)